न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टी0ए0/6393/2005/जयपुर

1. श्रीमती माली देवी विधवा हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी लूणियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर नाम तर्क।
2. श्रीमति कमली देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी लूनियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. श्रीमति बबली देवी पत्नी जूंथाराम जाति जाट निवासी लूनियावास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

अपीलांट....

बनाम

1. गोकुल पुत्र रामनारायण जाति पुरोहित निवासी 355, नाहरगढ़ रोड जयपुर।
2. राधेश्याम पुत्र रामकुमार पारीक निवासी 2/258 पंचशील नगर माकड वाली रोड पी0एन0बी0 मार्ग, अजमेर।
3. भगवान सहाय पुत्र रामकुमार पारीक मृतक जरिये वारिसानः–

   3/1– बृजेश पारीक पुत्र भगवान सहाय पारीक

   3/2– सुनिता पारीक पुत्र भगवान सहाय पारीक

   निवासीयान हरिपुरा विद्युत स्टेशन के पीछे अजमेर रोड जयपुर।

रेस्पो0 ....

खण्डपीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री हगामीलाल, अभिभाषक अपीलांट
श्री दीपक पारीक व राजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 12

निर्णय

दिनांकः 14.07.2025

1– यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर दिनांक 25–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया माली देवी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के समक्ष एक वाद बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख0न0 36 रकबा 2 बिस्वा, ख0न0 37 रकबा 13 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम तुरकियावास एवं ग्राम लुनियावास में आराजी ख0न0 45 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 समान रूप से अर्थात 1/4 हिस्सा पर काश्त करते आ रहे है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की खुदकाश्त की आराजी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने से उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। वादीया को विवादित आराजी का खातदोर घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2001 से वादीया का वाद एकपक्षीय में डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06.08.2001 से व्यथित होकर प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 गोकुल द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 25.11.2005 से अपील आंशिक स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करे। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपीली मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय को प्रकरण का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर संक्षिप्त में बिना आधार लिए निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने अपील के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र

पर कोई विवचेन नहीं किया। अपीलीय न्यायालय को चाहिए था कि वह अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र अपना मत व्यक्त करते। इस आधार पर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित आराजी को पुश्तैनी खातेदारी की होना प्रमाणित किया है और उसी आधार पर वादी का वाद डिक्री किया गया है परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अधूरी वंशावली पेश की है जिसका विवेचन विचारण न्यायायल द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को पुश्तैनी मानकर दावा डिक्री किया है जबकि विवादित आराजी का किसी दस्तावेज से पुश्तैनी होना प्रमाणित नहीं होता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात तो निर्मित की परन्तु किसी भी तनकी का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण करते हुये निर्णय पारित नहीं कर दावा एकपक्षीय में डिक्री कर दिया जो विधि विरूद्व था जिसे अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 25.11.2005 से अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी को पुश्तैनी किस आधार पर माना इस बाबत भी अपने निर्णय में कोई स्पष्ट मत व्यक्त नहीं किया। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट संख्या 2 व 3 दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पक्षकार दर्ज नहीं थे परन्तु मंडल के समक्ष अपीलांट माली देवी का नाम तर्क होने के पश्चात अपीलांट संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किये बिना ही अपील में पक्षकार बनाये गये है जो पूर्णतः विधि विरूद्व है। अपीलांट संख्या 2 व 3 को मंडल के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर अपील पेश करने की अनुमति ली जानी चाहिए थी। इस आधार पर भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवदेन किया।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस मनन किया एवं पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन व अवलोकन किया ।

7. पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा उठाई गई मौखिक आपत्ति कि अपीलांट संख्या 2 व 3 को मंडल के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर अपील पेश करने की अनुमति ली जानी चाहिए थी। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस संबंध में हमने अपील मीमों के पैरा संख्या 9 का अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता है कि मुख्य अपीलांट माली देवी द्वारा अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.09.2004 को अपीलांट संख्या 2 व 3 को बेचान कर दिया और बेचान के आधार पर विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा अपीलांट संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी दर्ज किया गया है। इसी आधार पर उन्होंने मंडल में अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत चाही है। अतः यह कहा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है कि उनके द्वारा धारा 96 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति ली जानी चाहिए। उक्त आधार पर रेस्पो0 द्वारा उठाई गई मौखिक आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में चार तनकीयात निर्मित की गयी परन्तु प्रत्येक तनकी का तनकीवार विवेचन व विश्लेषण कर विस्तृत निर्णय पारित नहीं कर एकपक्षीय में निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में हमने विधिक प्रावधान आदेश 14 नियम 2 सी0पी0सी0 का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि न्यायालय द्वारा निर्मित किये गये सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाया जाना आवश्यक है। जिसका अभाव विचारण न्यायालय के निर्णय में पूर्णतया पाया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को निर्णित नहीं कर अपील का गुणावगुण निर्णय करने में अवैधानिकता की है। परन्तु उक्त परिप्रेक्ष्य में यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि यदि किसी मियाद से बाधित प्रकरण में गुणावगुण का बिन्दु सशक्त हो तो ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु को गौण कर न्यायालय प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित कर सकता है। अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को इसी निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विचारण न्यायालय प्रकरण का विवेचन व विश्लेषण करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करे। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2005 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2005 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य